



भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण  
बीडा- भदोही

ई-आक्शन नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद भदोही में भदोही मिर्जापुर रोड एवं (लुम्बिनी दुद्धी राष्ट्रीय मार्ग) भदोही-ज्ञानपुर बाईपास रोड के क्रासिंग (रजपुरा चौराहा) के सन्निकट भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा द्वारा निर्मित बीडा मार्ट में दुकानों का आवंटन ई-आक्शन के माध्यम से किया जाना है। ई-आक्शन से सम्बन्धित विवरण दिनांक 22.07.2024 को ई-आक्शन पोर्टल [eauction.gov.in/eAuction/app](http://eauction.gov.in/eAuction/app) पर अपलोड किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म दुकानों का विवरण एवं शर्तों का अवलोकन [eauction.gov.in/eAuction/app](http://eauction.gov.in/eAuction/app) पर कर ई-नीलामी प्रक्रिया में आवश्यक कार्यवाही कर भाग ले सकते हैं। आवंटन हेतु उपलब्ध दुकानों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	तल	संख्या	साईज (मी०)	क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	विक्रय	ई०एम०डी०/पंजीकरण धनराशि
1.	लोअर ग्राउण्ड फ्लोर (दुकान)	10	6.10 x 3.60	21.96 वर्ग मी०	रु० 1685000	रु० 1.70 लाख
2.	अपर ग्राउण्ड फ्लोर (दुकान)	01	6.10 x 3.60	21.96 वर्ग मी०	रु० 2002082	रु० 2.00 लाख
3.	प्रथम तल (दुकान)	16 21	6.10 x 3.60 7.86 x 3.60	21.96 वर्ग मी० 28.30 वर्ग मी०	रु० 1337870 रु० 1723878	रु० 1.35 लाख रु० 1.75 लाख
4.	द्वितीय तल (हाल)	01 01 01 01 01	— — — — —	136.82 वर्ग मी० 142.37 वर्गमी० 218.50 वर्गमी० 276.84 वर्गमी० 297.99 वर्गमी०	रु० 5192867 रु० 5403511 रु० 8292949 रु० 10507186 रु० 11309913	रु० 5.20 लाख रु० 5.40 लाख रु० 8.30 लाख रु० 10.50 लाख रु० 11.30 लाख

(1) ई-आक्शन दिनांक 22.07.24 से प्रकाशित होगा।

(2) आवेदनकर्ता द्वारा ई-आक्शन पोर्टल [eauction.gov.in/eAuction/app](http://eauction.gov.in/eAuction/app) पर दिनांक 22.07.24. से दिनांक 12.08.2024 तक बिड डाउनलोड एवं सबमिट करेगा।

(3) ई-आक्शन पोर्टल [eauction.gov.in/eAuction/app](http://eauction.gov.in/eAuction/app) पर दिनांक 13.08.24. को आवेदनकर्ता की बिड का परीक्षण किया जायेगा एवं उक्त तिथि में ही वैध बिडर की बिड को ई-आक्शन पोर्टल पर ही सूचित किया जायेगा।

(4) जिन आवेदनकर्ताओं की बिड वैध पायी जायेगी। उन्हें दिनांक 14.08.24 को समय 11:00 से 15:00 बजे तक ई-आक्शन पोर्टल [eauction.gov.in/eAuction/app](http://eauction.gov.in/eAuction/app) पर भाग लेने की अनुमति होगी।

(5) लाईव आक्शन दिनांक 14.08.24 समय 11:00 से 15:00 बजे तक ही ई-आक्शन पोर्टल [eauction.gov.in/eAuction/app](http://eauction.gov.in/eAuction/app) पर प्रदर्शित होगी।

नियम एवं शर्तें :-

- प्रत्येक व्यक्ति/फर्म जिन्हें ई-आक्शन में प्रतिभाग करना है को क्लास थ्री डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डी०एस०सी०) के साथ ई-आक्शन पोर्टल [eauction.gov.in/eAuction/app](http://eauction.gov.in/eAuction/app) पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता को पहचान पत्र-आवास प्रमाण पत्र/पहचान पत्र (आधार कार्ड/पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ ड्राइविंग लाइसेन्स की स्कैन कापी) पैन कार्ड की स्कैन काँपी, ई-आक्शन फार्म की स्कैन काँपी, जमा पंजीकरण (ई०एम०) धनराशि की रसीद, / बैंक ड्राफ्ट/आर०टी०जी०एस० विवरण (खाता सं० 58550201001128 .आई०एफ०एस०सी०

कोड नं० UBINO558559 यूनिन बैंक ऑफ इण्डिया बीडा शाखा भदोही) पंजीकरण अवधि में अपलोड की जानी है। डाक अथवा कोरियर की वजह से देर से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट की जिम्मेदारी प्राधिकरण की नहीं होगी।

3. कार्नर की दुकान की मूल कीमत में 15 प्रतिशत अतिरिक्त कीमत देय होगी।
4. सभी दुकानों की उपरोक्त कीमत अनुमानित है। दुकानों की कीमत में कमी/वृद्धि सम्भावित है। निर्माण के उपरान्त अन्तिम रूप से कार्टिंग के आधार पर वास्तविक कीमत निर्धारित होगी।
5. सभी दुकानों का आवंटन ई-आक्शन के माध्यम से ई-आक्शन पोर्टल [eauction.gov.in/eAuction/app](http://eauction.gov.in/eAuction/app) पर किया जायेगा। आवंटन से सम्बन्धित नियम व शर्त ई-आक्शन [eauction.gov.in/eAuction/app](http://eauction.gov.in/eAuction/app) पर प्राप्त किया जा सकता है।
6. आवेदक द्वारा पंजीकरण धनराशि को पंजीकरण अवधि के अन्दर ही बैंक ड्राफ्ट/नगद/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से, जो बीडा भदोही के पक्ष में देय होगा, को जमा करना अनिवार्य होगा। अगर किसी आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण धनराशि को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा किया जाता है तो बीडा, भदोही की खाता सं० 585502010011128 .आई0एफ0एस0सी0 कोड नं० UBINO558559 यूनिन बैंक ऑफ इण्डिया बीडा शाखा भदोही में जमा करते हुए यू0टी0आर0 नं० की रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदनकर्ता को प्रत्येक दुकानों के लिए अलग-अलग पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा एवं प्रत्येक पंजीकरण के साथ धनराशि रू० 1000.00 डाक्यूमेन्टेशन शुल्क (ई-आक्शन शुल्क) तथा रू० 1000.00 फार्म शुल्क कुल रू० 2000.00 डिमाण्ड ड्राफ्ट/नगद/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से, जो बीडा भदोही के पक्ष में देय होगा, को जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त धनराशि आवेदनकर्ता को वापस नहीं की जायेगी।
8. एक व्यक्ति/फर्म के नाम से अधिकतम 6 दुकाने आवंटित की जा सकती है।
9. आवेदन कर्ता/फर्म आवेदन हेतु ई-आक्शन फार्म पर जिस दुकान संख्या को अंकित करेगा। मात्र उसी दुकान के लिये ही ई-आक्शन हेतु अधिकृत रहेगा। ई-आक्शन फार्म प्रारूप-2 पर उपलब्ध है।
10. ई-आक्शन प्रति सम्पत्ति/दुकान/हाल के न्यूनतम आरक्षित मूल्य के आधार पर की जायेगी दुकान के लिए प्रत्येक बिड का न्यूनतम अन्तर रू० 5000.00 होगा। हाल के लिए प्रत्येक बिड का न्यूनतम अन्तर रू० 10000.00 होगा। लोअर ग्राउण्ड फ्लोर एवं अपर ग्राउण्ड फ्लोर के प्रत्येक दुकान के लिये कम से कम 2 व्यक्ति/फर्म की वैध बिड प्राप्त होने पर ही संज्ञान लिया जायेगा एवं अधिकतम धनराशि वाले बिडर को प्रथम वरीयता दी जायेगी। प्रथम तल एवं द्वितीय तल के दुकानों एवं हाल के लिए कम से कम 03 व्यक्ति/फर्म की वैध बिड प्राप्त होने पर संज्ञान में लिया जायेगा। अधिकतम धनराशि वाले बिडर को प्रथम वरीयता दी जायेगी।
11. जिस आवेदनकर्ता की धनराशि अधिक होगी (दुकान/हाल मूल्य) का 25 प्रतिशत धनराशि बिड की स्वीकृति होने अधिकतम एक सप्ताह में जमा करना होगा जिसमें जमा पंजीकरण धनराशि सम्मिलित होगी। अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष के अन्दर 04 त्रैमासिक किस्तों में अनुमन्य ब्याज के साथ जमा करना होगा। आवेदक यदि चाहे तो एक साथ ही अवशेष धनराशि जमा कर सकता है।
12. निर्धारित किस्तों की देय तिथि पर किस्त जमा न होने पर 18.00 प्रतिशत की दर से विलम्ब ब्याज देय होगा।
13. निबन्धन विलेख का समस्त व्यय आवंटी को वहन करना होगा।
14. आवंटी को दुकान के मूल्य के अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रीपेड लीज रेन्ट एवं अन्य देय शुल्कों का भुगतान आवंटन के उपरान्त करना होगा।
15. आवंटन के पश्चात ई-आक्शन में सफल व्यक्ति द्वारा दुकान न लेने अथवा धनराशि जमा न करने पर पंजीकरण शुल्क सहित जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
16. आवेदनकर्ता को ई-आक्शन हेतु अपलोड की गयी सभी विवरण की हार्डकापी प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 12.08.24 तक उपलब्ध करानी होगी।

17. निर्मित आवंटित दुकान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। किसी भी तल की दुकान में पानी अथवा अन्य सुविधाएं देने के लिए प्राधिकरण बाध्य नहीं है। तकनीकी अनुभाग की आख्या पर ही आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।
18. आवंटित दुकान/हाल का किसी भी दशा में उप विभाजन नहीं किया जायेगा।
19. प्रथम तल एवं द्वितीय तल के दुकान/हाल का कब्जा आवंटन पत्र निर्गत होने के 03 माह बाद तकनीकी अनुभाग की आख्या पर ही दिया जाना संभव होगा।
20. आवंटी को पंजीकरण एवं प्रदेशन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
21. नीलामी स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) भदोही में निहित है।
22. नियमों व शर्तों को बदलने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी का होगा। विनियमों में किसी बात के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण हित में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अन्यथा निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा।

